न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 72/2012

प्रार्थीगण	बनाम्	अप्रार्थीगण
1.गोमाराम पुत्र शंकरराम जाति मेगवाल निवासी चौहटन 2.सवाईराम पुत्र नगाराम जाति दर्जी निवासी चौहटन 3.हरिसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन 4.प्रागसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन तहसील,चौहटन		1.सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन तहसील चौहटन 2.श्रीमती नीम्बोदेवी पत्नि मूलाराम जाति जाट निवासी चौहटन तहसील चौहटन

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 2667 दिनांक 12.12.2009 जो ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 नीम्बो देवी के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1.श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2.अप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता अनुपस्थित।
3.श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थीनी सं. 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 15.11.2017

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीनी संख्या 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर,ग्राम पंचायत चौहटन के सुन्दर नगर की आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड का विक्रय विलेख आवंटन करने हेतु निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम कर, अप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में नियम 158(2)(ग)के तहत पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थीनी संख्या 02 चौहटन की निवासी नहीं होने, भूमिहीन नहीं होने,ग्राम चौहटन में रहवासी मकान होने के बावजूद ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध पट्टे जारी किया है। प्रार्थीगण ने इस पट्टा विलेख करे नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत चौहटन से निगरानी से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थी संख्या 02 के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिवक्ता ने जवाब पेश कर,निगरानी के पद संख्या 01 से 07 को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब एंव शपथ पेश कर निगरानी के पद संख्या 01 से 07 गलत होने से अस्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 02 बीपीएल चयनित, भूमिहीन, अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के होने के कारण नियम 158 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही करके भूखण्ड आवंटन कर पट्टा जारी करने को सही बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 11.07.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 02 नीम्बोदेवी को जारी पट्टा संख्या 2667 दनांक 12.12.2009 को खारिज करने हेतु पूर्व में निगरानी पेश होने एंव उसका निस्तारण होने से हस्तगत निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। निगरानी पत्रावली एंव ग्राम पंचायत चौहटन से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीनी संख्या 02 नीम्बो देवी पत्नि मूलाराम जाति जाट निवासी चौहटन को ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा जारी पट्टा संख्या 2667 दिनांक 12.12.2009 को खारिज करने हेतु प्रार्थी मदनलाल पुत्र चिंतामणदास मालू निवासी चौहटन वगैरा ने जिला कलक्टर न्यायालय बाड़मेर में निगरानी संख्या 64/2012 पेश की। जिसके निर्णय की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है,का अवलोकन किया गया। इससे यह प्रकट होता है कि पूर्व मे निगरानी में जो आक्षेप उठाये गये है,वही आक्षेप हस्तगत निगरानी में उठाये गये है। जिस पर गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय दिनांक 08.02.2016 द्वारा प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की गई है। लिहाजा वादग्रस्त पटटा की भूमि पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय होने से अब दुबारा इस पट्टा की भूमि पर प्रस्तुत निगरानी और उस पर विचार कर निर्णय करना विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जाती है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर